न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 45 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. वीरमाराम पुत्र चैनाराम
2. शम्भूराम पुत्र चैनाराम
3. म्हेराराम पुत्र बागाराम
4. चिमनाराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी तेजियावास(बेरीगांव) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.लुम्बाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी तेजियावास(बेरीगांव) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2.शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा गुड़ामालानी
3.शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी शाखा धोरीमन्ना
4.राज.राज्य जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 154 / 2019 बअनवान लुम्बाराम बनाम वीरमाराम में पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.10.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय के पेश किया गया कि उतरदाता संख्या 01 की खातेदारी का खेत मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 114 / 13 रकबा 45.15 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने हेतु का कोई कटाण रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खसरा संख्या 69 / 2 रकबा 16. 15 बीघा में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौका फर्द दिनांक 02.01.2020 में प्रार्थी के खसरे में पहुचने हेतु सबसे नजदीक खसरा संख्या 17/2 गैर मुमकिन नहर की सड़क होना अंकित किया गया है। खसरा संख्या 69/2 में प्रस्तावित रास्ता दूरी अधिक है। दिनांक 17.02.2020 को अपीलांट पक्ष की ओर से प्रार्थीगण के पास अन्य विकल्प खसरा संख्या 17/2, 13/2 व 17/3 में होना जाहीर किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश जारी किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.02.2020 को तैयार रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट न्यायालय के आदेश अनुसार व राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तैयार नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.03.2020 को मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आवेदन पेश किया गया, जिसका निस्तारण किये बिना दिनांक 12.10.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2016(2) Page 1281

निगरानी/टी.ए./3804/2015/बाड़मेर

परीपत्र/रा.म./नय/स्था./प–51/2008/विविध/ दिनांक 05.10.2020

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत आवेदन में प्राप्त मौका फर्द पर अपीलांटगण द्वारा बार-बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः मौके से मौका फर्द मंगवाई। अंतिम और दूसरी बार प्राप्त मौका फर्द दिनांक 28.02.2020 पर विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिन्दु संख्या एक, खसरा संख्या 17/2 रकबा 05.06 बीघा किस्म गै.मु.नहर नर्मदा नहर परियोजना जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त सरकारी भूमि न होकर विभागीय भूमि हैं। अतः विभाग की अनुमति के बिना रास्ता दिया जाना संभव नहीं है तथा नहर की भूमि को रास्ते की भूमि माना जाना उचित नहीं है, चाहे मौके पर रास्ता चल रहा है। खातेदार कृषक सरकारी कटाण रास्ते से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। बिन्दु संख्या दो, खसरा संख्या 17/3 कटान रास्ते से लगता हुआ नहीं है इसी प्रकार खसरा संख्या 13/2 के भी कटान रास्ता नहीं लगता है। अपीलांटगण प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपने तर्को के समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया है उनकी पृष्ठभूमि वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 154/2019 बअनवान लुम्बाराम बनाम वीरमाराम में पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर